प्रेस नोट दिनांक 18.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

गैंगस्टर एक्ट के तहत सक्रिय गैंग सदस्य 'मो0 इलियास' की 20 लाख रुपये की अवैध चल/ अचल संपत्ति कुर्क

जनपद प्रतापगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही लगातार जारी है।

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 359/25, धारा- 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित गैंग सदस्य मो0 इलियास पुत्र जान मोहम्मद निवासी रंजीतपुर चिलबिला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की गई।

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 359/25, धारा- 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, मा0 जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ श्री अभिषेक पाण्डेय द्वारा पारित आदेश के क्रम में बड़ी कुर्की की कार्यवाही की गई है।
कुर्क की गई अवैध चल/अचल संपत्ति (धारा 14-1 गैंगस्टर एक्ट):
अभियुक्त मो0 इलियास:-
01. MAHINDRA TUV 300 T6 (CAR), UP 72 AY 1372, अनुमानित मूल्य: ₹6,00,000.00,
02. फर्म किसान ग्रामोद्योग चिलबिला, प्रतापगढ़, अनुमानित मूल्य: ₹14,00,000.00

कुल कुर्की: ₹20,00,000.00 /-(अनुमानित मूल्य बीस लाख रुपये)

उक्त आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष कोतवाली देहात उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह मय हमराह उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा, का0 संतोष यादव, का0 निष्कर्ष मिश्रा, का0 सुमित कुमार मय चालक का0 विशाल चौधरी द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन को धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

यह कार्यवाही थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 359/25, धारा- 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है। अभियुक्तों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से संपत्तियां अर्जित की गई थीं, जिनके विरुद्ध विधिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-
01. मो0 इलियास (गैंग सदस्य): अभियुक्त के विरुद्ध लूट, मारपीट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 04 गंभीर आपराधिक अभियोग जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं।

01- अभियुक्त मो0 इलियास पुत्र जान मोहम्मद निवासी रंजीतपुर चिलबिला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0- 731/18, धारा- 323, 452, 504, 506 भा.दं.वि., थाना- कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0- 333/24, धारा- 323, 504, 506, 325, 427 भा.दं.वि., थाना- कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0- 349/24, धारा- 395, 397 भा.दं.वि., थाना- कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0- 359/25, धारा- 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना- कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

नोट-
प्रशासन व पुलिस की प्रतिबद्धता:
प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध, गैंगस्टर गतिविधियों तथा अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही लगातार की जा रही है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु ऐसे अपराधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है।

चेतावनी: कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा अपराध से अर्जित सम्पत्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। प्रतापगढ़ पुलिस जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
थाना लालगंज पुलिस द्वारा नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद कर अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त महेश वर्मा को क्षेत्रान्तर्गत सीएचसी अस्पताल लालगंज के सामने रोड के पास से गिरफ्तार किया गया, नाबालिग अपहृता सकुशल बरामद-

प्रतापगढ़।
वादिनी निवासी ग्राम दौलत का पुरवा (अमांवा), थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार दिनांक 14.06.2026 को उनकी पुत्री को गांव निवासी महेश वर्मा पुत्र स्व0 रामकिशुन वर्मा बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। घटना की जानकारी होने पर वादिनी महेश वर्मा के घर पहुंचीं, जहां महेश वर्मा की चाची सीमा वर्मा मिलीं। वादिनी द्वारा उन्हें घटना से अवगत कराते हुए अपनी पुत्री को वापस बुलाने के लिए कहा गया, किन्तु आरोप है कि सीमा वर्मा ने वादिनी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज की तथा उन्हें वहां से भगा दिया। इस संबंध में अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 352 बी.एन.एस. बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 नीरज कुमार व रि0म0का0 पूजा सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2), 87,352 बी.एन.एस. थाना लालगंज से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त महेश वर्मा पुत्र राम किशुन वर्मा निवासी ग्राम दौलत का पुरवा अमावा थाना लालगंज जनपद

प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत सीएचसी अस्पताल लालगंज के सामने रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

अभियुक्त महेश वर्मा ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 14.06.2026 की शाम को वादिनी की पुत्री को मैं शादी करने के लिये उसके घर से भगा कर बम्बई गया था। मेरे पास पैसा नहीं था तो मै बम्बई से पैसे का जुगाड़ करने के लिये वापस अभी आ ही रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. महेश वर्मा पुत्र राम किशुन वर्मा निवासी ग्राम दौलत का पुरवा अमावा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 नीरज कुमार व रि0म0का0 पूजा सिंह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी : हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार
थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 तमन्चा नाजायज 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अशोगी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में *थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज कुमार जायसवाल मय हमराह उ0नि0 विवेक कुमार यादव, का0 विजय चौहान, का0 वीरपाल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, थाना क्षेत्र संग्रामगढ़ के अशोगी नहर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त अभियुक्त सुभाष पटेल पुत्र रामकृपाल पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम लहइया कामापट्टी थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ के पास से 01 अदद तमन्चा नाजायज 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया।

अभियुक्त के पास से 01 तमन्चा नाजायज 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस नाजायज 315 बोर बरामदगी के संबंध में थाना संग्रामगढ़ में मु0अ0सं0 115/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुभाष पटेल पुत्र रामकृपाल पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम लहइया कामापट्टी थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट नं. 49A)अभियुक्त सुभाष पटेल पुत्र रामकृपाल पटेल निवासी ग्राम लहइया कामापट्टी थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 72/14 धारा 323,452,506,427 भादवि थाना संग्रामगढ
2. मु0अ0सं0 129/14 धारा 379,411 भादवि थाना संग्रामगढ
3. मु0अ0सं0 236/14 धारा 325,504,506 भादवि थाना संग्रामगढ
4. मु0अ0सं0 145/18 धारा 41,411,413 भादवि थाना संग्रामगढ
5. मु0अ0सं0 148/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामगढ
6. मु0अ0सं0 101/26 धारा 115(2),352,351(3) बी.एन.एस थाना संग्रामगढ
7. मु0अ0सं0 115/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामगढ

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मनोज कुमार जायसवाल मय हमराह उ0नि0 विवेक कुमार यादव, का0 विजय चौहान, का0 वीरपाल थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।